राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक : प.17(1)/नविवि/अभियान/2021/ जयपुर, दिनांक : 31 DEC 2021

अभियान प्रगति की समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण

नगरीय निकायों द्वारा अब तक किये गये कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक मंगलवार दिनांक 14.12.2021 को डॉ0 जी.एस.संधु (सेवानिवृत आई.ए.एस) सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अध्यक्षता में नगर नियोजन भवन के सभाकक्ष में अपरान्ह् 02:30 बजे आयोजित की गई। बैठक में प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, मुख्य नगर नियोजक राजस्थान, संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय, नगरीय विकास विभाग तथा राज्य के 07 संभागों के अभियान के दौरान नियुक्त प्रेक्षक व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

1. बैठक में सर्वप्रथम राज्य की नगरीय निकायों, नगर विकास न्यास व विकास प्राधिकरणों एवं 07 संभागों के पर्यवेक्षकों द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के तहत अब तक किये गये कार्यो की विस्तृत समीक्षा की गयी।
2. बैठक में सभी पर्यवेक्षकों ने अपने–अपने संभागों में अब तक किये गये कार्यों, समस्याओं एवं उनके समाधान के संबंध में अपना–अपना प्रस्तुतीकरण दिया कि किस प्रकार उनके क्षेत्र में और अधिक से अधिक पट्टे दिये जा सकते है। सभी पर्यवेक्षकों को अपने–अपने क्षेत्र में नगरीय निकायों के साथ बैठकें कर समस्याओं का समाधान तथा अधिक से अधिक स्थानीय स्तर पर प्रचार–प्रसार हेतु कदम उठाने के निर्देश दिये गये।
3. बैठक में निर्णय लिया गया कि फ्री–होल्ड पट्टे देने बाबत् कुछ बिन्दुओं को स्पष्ट किया जाना है, जिसके लिये विभाग द्वारा मार्गदर्शन जारी किया जावेगा। मार्गदर्शन के प्रारूप पर भी चर्चा की गई।
4. धारा 69–ए के तहत् धीमी गति से जारी किये जा रहे पट्टो पर भी चर्चा की गई। इस संबंध में प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट करने बाबत् निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया। इसका प्रारूप श्री आर.के.तुलारा, अति. मुख्य नगर नियोजक, डीएलबी द्वारा तैयार किया जाकर डीएलबी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाकर सक्षम स्तर से स्वीकृति के पश्चात् जारी किया जावेगा।
5. बैठक में विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि यदि किसी आवंटी द्वारा स्थानीय निकायों में लॉटरी अथवा निलामी से भूखण्ड क्रय किया है एवं सम्पूर्ण राशि जमा करवा दी है, परन्तु आदिनांक तक नगरीय निकाय द्वारा उसे भूखण्ड का भौतिक कब्जा नही दिया गया है ऐसे प्रकरणों का समाधान किया जावें। इस के लिये राज्य सरकार के स्तर से विस्तृत आदेश जारी किया जाने का निर्णय लिया गया।
6. बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान जनवरी, 2022 के प्रथम पखवाड़े में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शिविरों का आयोजन वैकल्पिक रखा जाकर प्रगति तथा समस्याओं के समाधान के लिए संभागीय व जिला स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जावें। जिनमें राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेगें। अभियान के दौरान लम्बित प्रकरणों के निस्तारण तथा अब तक किये गये कार्यों की निकायवार समीक्षा की जायेगी तथा अब तक जारी आदेशों, छूट, शिथिलताओं की जानकारी कार्मिको को प्रदान की जावेगी। कार्यशाला में नगरीय निकायों के कार्मिकों के अतिरिक्त क्षेत्रीय उप निदेशक, क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर मित्र तथा सभी संभागों के पर्यवेक्षक शामिल होगें।
7. बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन नगरीय निकायों में स्टाफ की कमी है तो ऐसे निकायों में द्वारा अभियान अवधि के लिए स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अधिकृत एजेन्सीज के माध्यम

(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

Scanned by PDF Scanner

से आवश्यक कार्मिक नगरीय निकाय द्वारा अपने स्तर पर रखे जाने का निर्णय लिया गया। जो प्रथम चरण में छः माह के लिये नियुक्त किये जावें तदपश्चात उनकी आगे आवश्यकता तथा कार्यशैली का निर्णय लिया जावे। प्रत्येक ऐसे कार्मिक के लिये उसे देय पारिश्रमिक निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित दर किया जावेगा। अभियान अवधि में कार्यों के सुगम सम्पादन की दृष्टि से निकाय में स्वीकृत पदों के अतिरिक्त भी आवयकतानुसार कर्मचारी ऐजेन्सी के माध्यम से नियुक्त किये जाने आवश्यक है। निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्थानीय निकाय विभाग द्वारा नगरीय निकायों को अधिकृत करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जावे। साथ ही स्थानीय निकाय विभाग द्वारा नियुक्त एजेन्सी एवं निर्धारित दरों के आदेश की प्रति भी पुनः सभी निकाय को भिजवायी जावें।

8. बैठक में उपस्थित प्रेक्षकों द्वारा सुझाव दिया गया कि कार्यों को गति देने हेतु निकायों में पदस्थापित किये गये नगर नियोजको को ले–आउट स्वीकृत करने तथा अन्य तकनीकी कार्यों की शक्तियां प्रदान की जावें ताकि स्थानीय स्तर पर ही कार्यों का निष्पादन किया जा सके। इस संबंध में उचित होगा कि स्थानीय निकाय विभाग द्वारा विभिन्न निकायों में पदस्थापित किये गये सहायक नगर नियोजकों को अभियान अवधि में 2 हैक्टेयर तक के क्षेत्रफल की कृषि भूमि पर विकसित कॉलोनियों के ले–आउट प्लान अनुमोदन की शक्तियां प्रदान की जावें। ले–आउट प्लान पर संयुक्त रूप से कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक नगर नियोजक व आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जावेगे तथा इसका अनुमोदन एम्पावर्ड कमेटी से कराया जावेगा। इसी प्रकार भवन निर्माण स्वीकृति, पुर्नगठन/उप–विभाजन आदि तकनीकी कार्यों की शक्तियां भी अभियान अवधि में निकाय में पदस्थापित नगर नियोजन के तकनीकी अधिकारियों को दिये जाने हेतु आदेश स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी किये जावें।

9. कृषि भूमि पर बसी कच्ची बस्तियों के संबंध में :– कुछ शहरों जैसे जयपुर में नगर निगम हैरिटेज से प्राप्त पत्र दिनांक 25.10.2021 के अनुसार ग्राम हसनपुरा तहसील जयपुर में कृषि भूमि पर मजदूर नगर कच्ची बस्ती के नाम से गैर कृषि उपयोग करना बताया है एवं ऐसी कृषि भूमि पर कच्ची बस्तियों के नियम हेतू मार्गदर्शन मांगा गया हैं। ऐसी बस्तियों की भूमियों को सूओ मोटा आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 90ए के तहत कार्यवाही करते हुवे खातेदारी अधिकार अपास्त कर नियमन की कार्यवाही की जा सकती है। ऐसे प्रकरणों में दिनांक 29.10.2021 के आदेशानुसार नियमन दरें वसूल कर पट्टे जारी किये जा सकते है।

10. बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि 2 अक्टूबर, 2021 के पश्चात् विभाग द्वारा नियमों के सरलीकरण व रियायतों के संबंध में कई परिपत्र/आदेश जारी किये गये है, जिनको संकलित कर अभियान पुस्तिका का भाग–3 शीघ्र ही प्रकाशित किया जायेगा।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव

(कुंजीलाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक : प.17(1)/नविवि/अभियान/2021/

जयपुर, दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।

Scanned by PDF Scanner

ान सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
शक एवं विशिष्ट सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
एच.एस संचेती, सलाहकार, राज्य स्तरीय सलाहकार प्रकोष्ठ, नगर नियोजन विभाग।
नवनीत कुमार, संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय, नगरीय विकास विभाग।
ो संजीव कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग।
ी राजेश कुमार तुलारा, अति. मुख्य नगर नियोजक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग।
ी सुभाष शर्मा, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम), नगर नियोजन विभाग।
क्षक, जयपुर / जोधपुर / बीकानेर / अजमेर / कोटा / भरतपुर / उदयपुर।
श्री चन्द्र शेखर पाराशर, से.नि. अति. मुख्य नगर नियोजक।
श्री एस.के.श्रीमाली, से.नि. अति. मुख्य नगर नियोजक।
श्री सुग्रीव सिंह, से.नि. वरिष्ठ नगर नियोजक।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

31/12/2021
संयुक्त शासन सचिव
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

Scanned by PDF Scanner